



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276921
CG-DL-E-08102026-276921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5264]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5264]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5474(अ).— जबकि, मेसर्स एसएईएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय पता मकान नंबर 44, मॉडल टाउन, गुरुहरसहाय, फिरोजपुर, पंजाब-152022, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “मेसर्स एसएईएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को वाईएसआर कडपा, आंध्र प्रदेश में स्थित उनकी 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. No. 25-17/14/2025-पावर ग्रिड(एमओपी) दिनांक 20.01.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “मेसर्स एसएईएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को वाईएसआर कडपा, आंध्र प्रदेश में स्थित उनकी 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एसएईएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों स्वतंत्र वार्ता (हिंदी में) दिनांक 11.03.2025, प्रजाशक्ती (तेलुगु में) दिनांक 11.03.2025, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेजी में) दिनांक 11.03.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 12.04.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एसएईएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने 12.06.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि

भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स एसएईएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को वाईएसआर कडपा, आंध्र प्रदेश में स्थित उनकी 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. मेसर्स एसएईएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जनरेशन पूलिंग स्टेशन (गांव: सिरिगेपल्ली, मंडल: कोंडापुरम, जिला: वाईएसआर कडपा, आंध्र प्रदेश) से कुरनूल- III पीएस (आईएसटीएस एस/एस) 220 केवी एस/सी लाइन डी/सी और एम/सी टावरों पर।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आंध्र प्रदेश राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील/तालुका	जिला	राज्य
1.	सिरिगेपल्ली, टी. कोडुरु	कोंडापुरम	वाईएसआर कडपा	आंध्र प्रदेश
2	उरुचिंथला	ताडिपात्रि	अनांथापुरम	
3	उम्मायापल्ले, तोल्लामाडुगु, शोत्रियम चेन्नमपल्ले, तिममानायनीपेटा	कोलीमिगुंडला	नांदयाला	

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, मेसर्स एसएईएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेडको उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- vi. मेसर्स एसएईएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेडको विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/87/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER
ORDER

New Delhi, the 6th October, 2026

S.O. 5474(E).— Whereas M/s SAEL Industries Limited having its registered address at H. NO. 44, Model Town, Guruharsahai, Firozpur, Punjab-152022, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system for providing Connectivity to M/s SAEL Industries Limited for its 300MW Solar Power Plant at YSR Kadapa, Andhra Pradesh.”

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/14/2025-PG (MoP) dated 20.01.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system for Providing Connectivity to M/s SAEL Industries Limited for its 300MW Solar Power Plant at YSR Kadapa, Andhra Pradesh.”

M/s SAEL Industries Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Swatantra Vaartha (in Hindi) dated 11.03.2025, Prajashakti (in Telugu) dated 11.03.2025, The Times of India (in English) dated 11.03.2025 and in Weekly Gazette of India dated 12.04.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two Months from the date of publication. Subsequently, M/s SAEL Industries Limited has submitted an affidavit dated 12.06.2026 declaring that no observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the Newspaper and official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system for providing Connectivity to M/s SAEL Industries Limited for its 300MW Solar Power Plant at YSR Kadapa, Andhra Pradesh.” The following overhead line is covered under this scheme:

1. Generation pooling station of M/s SAEL Industries Limited (located in village: Sirigepalle Mandal: Kondapuram, District: YSR Kadapa, Andhra Pradesh) to Kurnool- III PS (ISTS S/s) 220 kV S/c line on D/c and M/c tower

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Andhra Pradesh:

Sr. No	Name of the Villages	Tehsil/Taluka	District	State
1.	Sirigepalle, T. Koduru	Kondapuram	YSR Kadapa	Andhra Pradesh
2	Uruchinthala	Tadipatri	Ananthapuram	Andhra Pradesh
3	Ummayapalle, Tollamadugu, Shotrium Chennampalle, Timmanayanaipeta	Kolimigundla	Nandyala	Andhra Pradesh

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s SAEL Industries Limited for laying of above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s SAEL Industries Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/87/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)